(6

न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

Eviction Appeal No.–08 / 2020–21

छोटो मुंशी टुडू वगैरह
बनाम
नाचन मुर्मू वगैरह

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

यह अपीलवाद, अपीलकर्त्ता (1) छोटो मुंशी टुडू, पिता–स्व0 झादे टुडू (2) मिसिर टुडू, पिता–स्व0 चरण टुडू (3) देवी चान्द टुडू, पिता–स्व0 चरण टुडू (3) जगन टुडू (5) किरानी टुडू दोनो का पिता–बड़ा मुंधी टुडू उर्फ जायलो टुडू (6) हराधन टुडू (7) बुधु टुडू (8) ठाकुर टुडू क्र0सं0–6,7 एवं 8 का पिता–स्व0 रेंधा टुडू (9) शिव टुडू (10) कृष्णा टुडू क्र0सं0–09 एवं 10 का पिता स्व0 गुजीन टुडू, सभी का सा0–हेठवंधा, थाना–लिट्टीपाड़ा, जिला–पाकुड़ के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के आर0ई0आर0 वाद सं0–27 / 2016–17 में दिनांक–29.12.2020 को पारित आदेश के विरूद्ध नाचन मुर्मू, पति–श्याम सुन्दर किस्कू एवं श्याम सुन्दर किस्कू, पिता– स्व0 किरटू किस्कू, दोनो का सा0–हेठवंधा, वर्तमान में सा0–वीचामहल, थाना–लिट्टीपाड़ा, जिला–पाकुड़ को पक्षकार वनाते हुए दाखिल किया गया है।

मामला संक्षेप में यह है कि लिट्टीपाड़ा अंचल के मौजा हेठवंधा नं0–01 के जमाबंदी सं0–13 अन्तर्गत कुल रकवा 19–18–12 धुर एवं जमाबंदी सं0–19 के दाग सं0–2003 एवं 2004 अन्तर्गत रकवा 02–00–10 धुर जमीन से छोटो मुंशी टुडू एवं अन्य (इस वाद के अपीलकर्त्तागण) को उच्छेद करने हेतु नाचन मुर्मू एवं अन्य (इस वाद के उत्तरवादीगण) के द्वारा निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा RER वाद सं0–27 / 2016–17 संस्थित कर दिनांक–29.12.2020 को पारित आदेश द्वारा प्रश्नगत भूमि से छोटो मुंशी टुडू एवं अन्य (इस वाद के अपीलकर्त्तागण) को उच्छेद किया गया। यह अपीलवाद निम्न न्यायालय द्वारा पारित इसी आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वहस को विस्तारपूर्वक सुना गया। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–हेठवंधा का जमाबंदी सं0–13 विगत सर्वे खतियान में गुड़रा टुडू एवं पाण्डू टुडू, दोनो का पिता–किसुन टुडू के नाम से दर्ज है। इसी प्रकार जमाबंदी सं0–19 विगत सर्वे खतियान में जटु टुडू व शिला टुडू

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
1	2	3

सेन्ते का पिता–खिरो टुडू व रावा टुडू पिता–सदा भातरू टुडू व बाहमन भाते टुडू व भादो टुडू पिता–राजा टुडू व छोटा भातरू टुडू पिता–छोटा खिरो टुडू व छोटा माने टुडू पिता–लखन टुडू व बड़ा भातरू टुडू पिता–बड़ा खिरो टुडू व लोदना टुडू व झादे टुडू व बेलना टुडू पिता–चरण टुडू व पुकरा टुडू व पाण्डु टुडू पिता–किशुन टुडू के नाम से दर्ज है। चूंकि पुकरा टुडू एवं पाण्डु टुडू जमाबंदी सं0–13 एवं 19 दोनों में है, अतः दोनों ही जमाबंदी के जमाबंदी रैयत आपस में संबंधी/गोतिया है। खतियानी रैयत पाण्डु टुडू की मृत्यु लावल्द हो गयी, जबकि पुकरा टुडू को एक पुत्र किशुन टुडू हुआ। किशुन टुडू को केवल दो पुत्री लखन टुडू एवं चानी टुडू हुई। लखन टुडू की मृत्यु लावल्द हो गई एवं चानी टुडू का विवाह साधारण रीति से पहले ग्राम रोड़गो में मैसा किस्कू के साथ हुआ। चानी टुडू एवं मैसा किस्कू को दो पुत्र लाल किस्कू एवं सनातन किस्कू हुए। चानी टुडू द्वारा दूसरी शादी ग्राम जारूलोरी के कदु मुर्मू के साथ साधारण रीति से की गई। द्वितीय पति कदु मुर्मू से दो पुत्री माझन मुर्मू एवं नाचन मुर्मू तथा एक पुत्र चमरू मुर्मू हुए। माझन मुर्मू एवं चमरू मुर्मू की मृत्यु लावल्द हो गई। नाचन मुर्मू का विवाह साधारण रीति से ग्राम बीचाबहाल के स्याम सुन्दर किस्कू के साथ हुई। संथाल कस्टमरी लॉ के अनुसार महिला को सम्पति पर कोई अधिकार नहीं होता है। केवल घरजमाई रीति से ब्याहता पुत्री को ही सम्पति पर अधिकार होता है। न तो चानी टुडू और न ही नाचन मुर्मू की घरजमाई शादी हुई है। अतः सम्पति पर उनका कोई हक एवं अधिकार नहीं है। यदि किसी संथाल की मृत्यु बिना किसी पुत्र के हो जाती है तो सम्पति उनके निकट के पुरूष गोतिया के पास चली जाती है। घरजमाई रीति से शादी केवल पिता ही करा सकते है अन्य किसी को भी यह अधिकार नहीं है। इस प्रकार जमाबंदी सं0–13 की सम्पति उनके निकट पुरूष गोतिया जो जमाबंदी सं0–19 के खतियानी रैयतों के वंशज है के पास चली गई एवं वे उनका भोग–दखल करने लगे। चानी टुडू की साधारण तरीके से सम्पन्न प्रथम शादी से दो बच्चे हुए जो जीवित है एवं ग्राम रोड़गो में ही रहते है। प्रथम शादी के बाद वापस घर लाकर दूसरी शादी घरजमाई तरीके से करने का कोई प्रावधान संथाल समाज में नहीं है। यदि चानी टुडू के पिता को पुत्र की आवश्यकता थी तो प्रथम विवाह ही घरजमाई तरीके से कराते। उत्तरवादी द्वारा दाखिल घरजमाईनामा कागजात फर्जी है क्यों कि इसमें प्रथम शादी का कोई उल्लेख नहीं है एवं टीप निशान भी भिन्न–भिन्न है। विधवा महिला घरजमाई शादी नहीं करा सकती। इसलिए नाचन मुर्मू की घरजमाई शादी का दावा भी गलत है। निम्न न्यायालय द्वारा इस तथ्यों की अनदेखी की गई एवं एकतरफा आदेश पारित किया गया, जो त्रुटिपुर्ण है।

की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

उनका यह भी कहना है कि इस न्यायालय को प्रेषित अंचल अधिकारी के दो–दो जॉच प्रतिवेदनों में भी यह स्पष्ट किया गया है कि चानी मुर्मू की साधारण तरीके से शादी हुई थी। उनके द्वारा अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त (Set-aside) करने का अनुरोध किया गया।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता का प्रश्नगत भूमि के खतियानी प्रविष्टि के संदर्भ में वही कहना है जो अपीलकर्त्ता द्वारा कहा गया है। उनका आगे कहना है कि जमाबंदी सं0–13 एवं 19 दोनो में ही गुडरा टुडू एवं पाण्डु टुडू खतियानी रैयत है। पाण्डु टुडू की मृत्यु नावल्द हो गई। गुडरा टुडू के एक पुत्र किसुन टुडू हुए एवं किसुन टुडू को तीन पुत्री राधन टुडू, चानी टुडू एवं होपनमई टुडू हुई। राधन टुडू की साधारण तरीके से शादी हुई। होपनमई मुर्मू की मृत्यु नावल्द हो गई तथा चानी टुडू की शादी घरजमाई तरीके से फतु मुर्मू के साथ हुई। फतु मुर्मू को एक पुत्र चमरू मुर्मू एवं दो पुत्री मंझली मुर्मू एवं नाचन मुर्मू हुई। चमरू मुर्मू एवं मंझली मुर्मू की मृत्यु नावल्द हो गई तथा नाचन मुर्मू का विवाह घरजमाई रीति रिवाज से श्याम सुन्दर किस्कू के साथ हुआ। घरजमाई शादी के बाद नाचन मुर्मू एवं उसके पति, चानी टुडू के घर में रहने लगी एवं सम्पति का भोग–दखल करने लगी। कुछ वर्ष पहले अपीलकर्त्तागण द्वारा जबरदस्ती बलपूर्वक तरीके से प्रश्नगत भूमि पर कब्जा कर लिया गया। फलस्वरूप निम्न न्यायालय में उच्छेदी का आवेदन दिया गया तथा अंचल अधिकारी, लिट्टीपाड़ा के जॉच प्रतिवेदन एवं तथ्यों की पूर्ण विवेचना के बाद निम्न न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से अपीलकर्त्तागण को उच्छेद करने का आदेश दिया गया। उनका आगे कहना है कि संथाल समाज में यदि किसी पिता की मृत्यु विधवा, पुत्र अथवा पुरूष गोतिया के बगैर हो जाती है तो साधारण रीति से व्याही गई पुत्री सम्पति का उत्तराधिकारी होती है। यह कहना भी गलत है कि केवल पिता ही घरजमाई शादी करा सकते है। पिता के अलावा चाचा, मामा, दादा, घरजमाई पुत्री (अपनी बहन के लिए) तथा विधवा भी घरजमाई शादी करा सकते है। घरजमाई शादी में जुमी लेबेत आचूर अनुष्ठान भी आवश्यक नहीं है। संथाल समाज में यह भी रिवाज है कि किसी साधारण रीति से व्याहता पुत्री को अगुमित द्वारा घरजमाई बनाया जा सकता है। विपक्षी जमाबंदी सं0–19 से संबंधित है। दखल–कॉलम में सबका दखल अलग–अलग दर्शाया गया है। उनके द्वारा अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया।

सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। उभय पक्ष के बीच विवाद का मूल बिन्दू यह है कि जहॉ अपीलकर्त्ता द्वारा चानी टुडू की शादी साधारण

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	कार्यालय टिप्पणी
1	2	3

रीति से पहले रोड़गो एवं बाद में दूसरी शादी जामजोड़ी में होने की बात कही गई है वही उत्तरवादी का दावा है कि चानी टुडू की शादी घरजमाई रीति से हुई थी। अंचल अधिकारी, लिट्टीपाड़ा द्वारा इस न्यायालय में प्रेषित जॉच प्रतिवेदन में चानी टुडू की दो शादी का उल्लेख है। प्रथम शादी साधारण तरीके से रोडगो में एवं द्वितीय शादी भी साधारण तरीके से जामजोड़ी में होना प्रतिवेदित है। जो अपीलकर्त्ता के दावे को पुष्ट करता है। उत्तरवादी द्वारा चानी टुडू एवं नाचन मुर्मू की घरजमाई रीति से शादी संबंधी घरजमाईनामा कागजात दाखिल किया गया है। उक्त कागजातों में चानी टुडू के प्रथम विवाह का कोई उल्लेख नहीं है। तथा चानी टुडू के प्रथम पति से दो बच्चे है जो प्रतिवेदनानुसार जीवित है। अतः घरजमाईनामा में 17–18 वर्ष की आयु का उल्लेख संदिग्ध प्रतीत होता है। यदि चानी टुडू के पिता को घरजमाई की इतनी आवश्यकता थी तो प्रथम शादी ही घरजमाई तरीके से क्यों नही की गई। चानी टुडू एवं नाचन मुर्मू के घरजमाईनामा कागजात में चानी टुडू एवं फतु मुर्मू का टीप निशान अंकित है, परन्तु उक्त टीप निशान दोनो घरजमाईनामा कागजात में मेल नहीं खाते है। इससे उक्त घरजमाईनामा कागजात संदिग्ध प्रतीत होता है। उक्त दोनो की कागजातों में ग्राम प्रधान प्रमाणिक, नाईकी आदि का हस्ताक्षर/टीप निशान नहीं है। संथाल कस्टमरी लॉ के अनुसार घरजमाई शादी हेतु ग्राम सभा में सहमति आवश्यक है। उक्त परिस्थिति में चानी टुडू की घरजमाई शादी को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। जब चानी टुडू की शादी ही घरजमाई तरीके सेनहीं हुई तो वैसे में नाचन मुर्मू की घरजमाई शादी का प्रश्न ही नहीं उठता है।

उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–29.12.2020 को निरस्त (Set-aside) किया जाता है। उत्तरवादी यदि चाहे तो प्रश्नगत भूमि पर अपने स्वत्व के लिए सक्षम व्यवहार न्यायालय की शरण में जा सकते है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें।

लेखापित एवं संशोधित।

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

Digitally signed by MRITYUNJAY BARANWAL KUMAR
Date: 2024.07.19 10:58:10 +05:30
Location: 192.168.45.62

Scanned with OKEN Scanner